कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड़, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल, पिन - 462011

Tel. 0755-2551017, 2551021 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्रमांक | 867 /नातौ/अ-1(1)एफ-34/2020 भोपाल, दिनांक:28/08/2020

प्रति,

समस्त निरीक्षक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज उपार्जन नीति के तहत कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्रों एवं भंडार ग्रहों तथा भंडार ग्रहों के आस-पास के नाप-तौल उपकरणों एवं व्हे-ब्रिज (धर्मकांटा) के सत्यापन समय-सीमा में किये जाने बाबत्।

-------- 000 --------

उपरोक्त विषयांतर्गत शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान एवं मोटा अनाज के उपार्जन नीति के तहत् समर्थन मूल्य पर **उपार्जन कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।**

निर्देशित किया जाता है कि आप क्षेत्रांतर्गत आने वाले उपार्जन केन्द्रों का विवरण जिला खाद्य कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त करें व संबंधित समितियों एवं कृषि उपज मण्डी समितियों के तौल यंत्रों का सत्यापन उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व करें। सत्यापन प्रमाण-पत्र में उपकरण का मेक (ब्रांड), केपेसिटी, ई-वेल्यू, मशीन न. आवश्यक रूप से उल्लेख कर मौके पर ही प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जावे, क्योकि ई-उपार्जन सॉफ्टवेयर में उपार्जन केन्द्रवार उपकरणों के सत्यापन की पृविष्टि भी गत वर्षानुसार संबंधित केन्द्र प्रभारी / आपरेटर द्वारा की जाना नियत किया गया है। उपरोक्त किये गये सत्यापन का विवरण साप्ताहिक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करें।

जिले में कृषि उपज मण्डी, स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन तथा स्टेट वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के जिला प्रबंधको से संपर्क कर भंडार ग्रहों के व्हे-ब्रिज (धर्मकांटा) का भी सत्यापन इसी समय-सीमा में तथा ऐसे भंडार ग्रह जिनमें व्हे-ब्रिज (धर्मकांटा) नहीं है / संचालन योग्य नहीं है के आस-पास के व्हे-ब्रिज (धर्मकांटा) का निरीक्षण / सत्यापन भी उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व उनके नियमानुरूप होने बाबत् किया जाये।

सत्यापन / मुद्रांकन में सीलिंग प्रक्रिया का अनुपालन करने के साथ-साथ तौलयंत्रों, धर्मकांटो के समस्त भागों का उपयुक्त वायर /twine धागे से टेम्पर प्रूफ सीलिंग करना सुनिश्चित करें ताकि सत्यापन / मुद्रांकन पश्चात तौल यत्र, धर्मकांटो के जंक्शन बाक्स एवं CPU / डिस्प्ले मॉनीटर / इण्डीकेटर की सील तोडे बिना इनकी यथार्थता (Accuracy) में अनापेक्षित रूप से कोई बदलाव नहीं किया जा सके।

लगातार (P.T.O.)

यह भी निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर उपार्जन केंद्रो का निरीक्षण भी किया जावे। ई-उपार्जन सॉफ्टवेयर में निरीक्षण का विवरण अंकित किये जाने का भी प्रावधान किया गया है जिसमें निरीक्षण दिनांक, निरीक्षणकर्ता एवं पायी गई स्थिति के विवरण की प्रविष्टि की जावेगी। इस प्रकार ई-उपार्जन सॉफ्टवेयर में जो प्रविष्टियां ऑनलाइन दर्ज होगी उनका एक प्रारूप संलग्न है। आपके द्वारा किये गये कार्यों का प्रत्येक सप्ताह प्रतिवेदन इसी प्रारूप मे एवं सत्यापन कार्य 100% पूर्ण करने उपरांत अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

S. Jain

(एस.के. जैन)
नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
म0प्र0 भोपाल

पृ.क्र. 1868 /नातौ/अ-1(1)एफ-34/2020 भोपाल, दिनांक28 /08/2020

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
2. श्री वर्गीस अब्राहम, वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी., विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त उप/सहायक नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिनस्थ निरीक्षकों से दिये गये निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करे, साथ ही कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केंद्रो तथा भंडार ग्रहो पर सतत् निरीक्षण कर निरीक्षण का ब्यौरा ई-प्रोक्यूरमेंट सॉफ्टवेयर में भी प्रविष्ट करवाया जाये।
4. समस्त जिला विपणन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मध्यप्रदेश।
5. समस्त महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन मध्यप्रदेश।

S. Jain

नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
म0प्र0 भोपाल